न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 67/2019

1. किरन्ती पुत्री गंगाराम पत्नी रतन जाति कहार निवासी अरबकापुरा (अतेवा) हाल आबाद चौबे कॉलोनी करौली तहसील व जिला करौली (राज0)

अपी0

बनाम

1. रामप्रसाद
2. जतन
3. हरी पुत्रान स्व0 श्रीलाल जातियान कहार निवासीयान अरबकापुरा (अलेवा) तहसील व जिला करौली।
4. गुलबी बेवा रामचरण
5. प्रेमराज पुत्र रामचरण जातियान कहार निवासीयान अरबकापुरा तहसील व जिला करौली राज0।
6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली, तहसील व जिला करौली।

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय व डिग्री न्यायालय सहायक कलक्टर, करौली मु0न0 95/2009 (141/97)निर्णय व डिग्री दिनांक 29.09.2017)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपी0 की ओर से श्री लियाकत अली
2. रेस्पो0 की ओर से श्री विष्णु चन्द बंसल

19.11.20

निर्णय दिनांक 19.11.2020

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955) के तहत मुकदमा नम्बर 95/2009 (141/97) निर्णय दिनांक 29.09.2017 उनवानी श्रीलाल वगै0 बनाम क्रान्ती बगै0 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0/वादी ने दावा घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर. टी. एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0न0 75 लगायत 79, 83,88,175,179,187,188,189,191,192 कुल किता 15 कुल रकबा 15 बीघा 19 विस्वा ग्राम अरबकापुरा तहसील करौली में वादीगण के पिता लोहडे के समय की खातेदारी व कब्जेकाश्त की है। वादीगण के पिता लोहडे का स्वर्गवास हो चुका है। वादीगण के भाई गंगाराम का भी स्वर्गवास हो चुका है। वह निःसंतान फौत हुआ है और आजीवन वादीगण के साथ रहा है। वादीगण ही आराजीयात [illegible] काश्त है और खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी वादीगण की पैतृक है। [illegible] की पत्नी का स्वर्गवास गंगाराम से पूर्व ही हो चुका है। इसके कोई भी औलाद पुत्र या पुत्री नहीं है और ना ही कभी ग्राम अरबकापुरा में रही है और ना ही आराजीयात पर कब्जा व हक है। प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:59:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नं0 1 से वादीगण व मृतक गंगाराम का कोई संबंध नहीं है। वादीगण ही मृतक लोहडे की जायदाद के एकमात्र वारिस है। वादीगण ने दिनांक 16.09.97 को प्रतिवादी नं0 2 से वादीगण के हक में खातेदारी इन्द्राज विवादित आराजी का करने एवं मृतक गंगाराम के स्थान पर वादीगण का नाम जमाबंदी में दर्ज करने की कहा परन्तु पटवारी व गिरदावर हल्का प्रतिवादी नं0 1 से साज किये हुये है और अनाधिकार तौर पर खातेदारी इन्द्राज मृतक गंगाराम के स्थान पर प्रतिवादी नं0 1 के हक में कानून के विपरीत करने पर आमादा है। वादीगण के पिता लोहडे की आराजीयात में कोई अधिकार प्रतिवादी नं0 1 के नहीं है। प्रतिवादी आपस में साज किये हुये है और वादीगण को आराजीयात के हक से वंचित करने पर तुले हुये है और अनाधिकार इन्द्राज जमाबंदी में करवाकर मुकदमेबाजी बढाने पर आमादा है। प्रतिवादीगण की इस अनाधिकार कार्यवाही से हकहकूक वादीगण पर भारी आघात है एवं वादीगण को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा है। वादीगण विवादित आराजीयात की अपने हक में खातेदारी घोषणा कराने एवं प्रतिवादीगण को पाबंद कराने के अधिकारी है। अन्त में दावा वादी डिक्री किये जाने का इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पा0 का दावा स्वीकार कर डिक्री किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. .अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. .अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.2017 अधीनस्थ न्यायालय विधि विरूद्ध है और निरस्त किये जाने योग्य है। निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.2017 अधीनस्थ न्यायालय पूर्णतः आर्विट्रेरी व परवसली है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। जैर अपील निणर्य व डिक्री दिनांक 29.09.2017 एकपक्षीय है, अपीलांट को उनके प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवायी का साक्ष्य का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.07.2017 को अपीलांट प्रतिवादीया की अनुपस्थिति दर्ज कर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी है जबकि अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण कायमे तनकीयात व कोस्ट अदायगी बाबत निहि[illegible]कीयात कायम करने का कार्य माननीय न्यायालय का था, [illegible] की आवश्यकता नहीं होती है। एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 13.07.2017 वि[illegible]रूद्ध है और उक्त एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है। निर्णय व [illegible] दिनांक 29.09.2017 अधीनस्थ न्यायालय पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:59:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सुनवाई का नोटिस व अवसर नहीं दिया गया है, जैर अपील निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत की अवहेलना कर एकपक्षीय आदेश पारित किये गये है जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है और मामला प्रकरण पुनः सुनवाई को अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने योग्य है। विवादित आराजीयात दर्ज वाद पत्र अपीलांट के पिता की खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है जिस पर अपीलांट का अपने पिता के साथ कब्जा काश्त चला आ रहा है और काबिज है और विवादित भूमि में अपीलांट का 1/3 हक हिस्सा है दावा घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद है जिसमें अपीलांट व रेस्पो0 के हक हकूक तय होने है इसलिए न्यायालय में अपीलांट को प्रकरण में सुनवाई का समुचित अवसर व जवाबदेही एवं साक्ष्य को समुचित अवसर दिया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांट को वकील से दिनांक 05.09.2019 को अपने मुकदमे की कार्यवाही की जानकारी करने पर वकील साहब द्वारा बताने पर कि तुम्हारा प्रकरण न्यायालय द्वारा दिनांक 29.09.2017 को एकपक्षीय फैसला कर दिया गया है। वकील साहब ने कहा कि मै दूसरी कोर्ट में व्यस्त था इसलिए हाजिर नहीं हो पाया था और तुम्हारे विरूद्ध दिनांक 13.07.2017 को एक्स पार्टी कर दी। वकील साहब ने भी अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी थी। अपीलांट ने दिनांक 06.09.2019 को फैसले की नकल के लिए आवेदन किया गया था, नकल तैयार दिनांक 16.09.2019 हुयी थी तथा दिनांक 17.09.2019 को प्राप्त हुयी, दिनांक 05.09.2019 से पूर्व प्रार्थीया को कोई जानकारी नहीं थी, प्रार्थीया के वकील साहब ने भी प्रार्थीया को कोई सूचना नहीं दी थी, प्रार्थीया अपने वकील साहब के विश्वास पर रही, प्रार्थीया अनपढ बृद्ध महिला है, जानकारी होने पर ज्ञान की दिनांक से उक्त अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है तथा उक्त डिले कण्डोन किये जाने योग्य है, विलम्ब क्षमा फरमाया जाये। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री खारिज फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय को पत्रावली पुनः सुनवायी हेतु रिमाण्ड की जावे।

4. रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि आराजी खसरा ख0न0 75 लगायत 79, 83,88,175,179,187,188,189,191,192 कुल किता 15 कुल रकबा 15 बीघा 19 विस्वा ग्राम अरबकापुरा तहसील करौली में रेस्पो0 के पिता लोहडे के समय की खातेदारी व कब्जे काश्त की है। रेस्पो0 के पिता लोहडे का स्वर्गवास हो चुका है। रेस्पो0 के भाई गंगाराम का भी स्वर्गवास हो चुका है। वह निःसंतान फौत हुआ था और आजीवन अविवाहित रहा था। रेस्पो0 ही आराजीयात पर काबिज काश्त है और खातेदार काश्तकार है। सम्मिलित आराजी रेस्पो0 की पैतृत है। गंगाराम की पत्नी का स्वर्गवास गंगाराम से पूर्व ही हो चुका है। इसके कोई भी औलाद पुत्र या पुत्री नहीं है और ना ही कभी ग्राम अरबकापुरा में रही है और

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:59:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

ना ही आराजीयात पर कब्जा व हक है। अपीलांट से रेस्पो० व मृतक गंगाराम का कोई संबंध नहीं है। रेस्पो० ही मृतक लोहडे की जायदाद के एकमात्र वारिस है। रेस्पो० के पिता लोहडे की आराजीयात में कोई अधिकार अपीलांट के नहीं है। अपीलांट आपस में साज किये हुये है और रेस्पो० को आराजीयात के हक से वंचित करने पर तुले हुये है और अनाधिकार इन्द्राज जमाबंदी में करवाकर मुकदमेबाजी बढाने पर आमादा है। अपीलांट की इस अनाधिकार कार्यवाही से हक हकूक रेस्पो० पर भारी आघात है एवं रेस्पो० को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा है। रेस्पो० विवादित आराजीयात की अपने हक में खातेदारी घोषणा कराने एवं अपीलांट को पाबंद कराने के अधिकारी है। दिनांक 08.03.16 को प्रतिवादी स01/अपीलांट का जवाब दावा 1000/– हर्जे पर स्वीकार किया गया था। इसके बाद हर्जा अदायगी नहीं किया गया है अतः एक पक्षीय कार्यवाही विधिवत रूप से की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो के आधार पर विधिपूर्वक अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जाये एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री यथावत रखा जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अद्योपान्त अवलोकन किया गया है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.09.2017 के विरूद्व अपील 14.10.2019 को पेश की है। प्रार्थना पत्र के तथ्यों का अवलोकन करने के पश्चात न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमन अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

6. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 16.05.2017 में पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात व कोस्ट अदायगी दिनांक 13.07.2017 को नियत की गयी थी। दिनांक 13.07.2017 को एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गयी है। तनकीयात कायम करने का कार्य मूलतः न्यायालय का ही है। न्यायालय को पहले तनकीयात विरचित करना चाहिये था। इसके पश्चात उचित विधिक कार्यवाही अपेक्षित थी। इस स्तर पर न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही विधिनुरूप नही की गयी है। पत्रावली का विधिक प्रकिया से निस्तारण हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

7. अतः अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, करौली के मु0न0 95/2009 (141/97) निर्णय व डिग्री दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर उभय पक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, पूर्ण विवेचन व विश्लेषण कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:59:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, करौली के समक्ष दिनांक 29.12.2020 को उपस्थित होवे।

8. निर्णय आज दिनांक 19.11.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

19.11.20

(बी.एल. रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:59:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner